

व्यक्तियों की औपचारिक नियुक्ति नहीं की जा सकी। एक सदस्य का पूर्णकालिक नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश में चुना गया था किन्तु बुर्गिय से उसकी मृत्यु हो गई है तथा दूसरे व्यक्ति के चुने जाने का प्रश्न विचाराधीन है। पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए मद्रास में जो एक सदस्य चुना गया था, उसने सदस्य बनने में इंकार कर दिया है। दूसरे जिस व्यक्ति को नियुक्ति के लिए चुना गया था, मद्रास सरकार ने उसे कार्यमुक्त नहीं किया। अतः मद्रास में किसी दूसरे व्यक्ति को चुनने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

अंगकालिक सदस्यों के दो रिक्त स्थानों में से उड़ीसा के एक व्यक्ति को नियुक्ति के लिए पहले ही निष्ठा जा चुका है तथा उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। मैसूर के एक व्यक्ति के मामले में उसे नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था किन्तु उसने इंकार कर दिया था। अतः मैसूर में किसी दूसरे व्यक्ति के चुने जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। आशा की जाती है कि, ये नियुक्तियां बहुत जल्दी हो जायेंगी।

[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI B. MISHRA):

(a) No, Sir. Out of the 18 members of the Commission, fourteen persons have so far been appointed.

(b) The following persons have been appointed to the Commission:—

1. Shri C. P. Sinha—*Chairman*.
2. Shri B. G. Murdeshwar—*Vice-Chairman*.

#### *Members*

3. Shri Mauli Chandra Sharma
4. Shri Ghanshyam Singh Gupta
5. Shri S. N. Bhattacharya

#### *Part-time Members*

1. Prof. G. C. Venkata Subbarao
2. Shri P. L. Shome

[1 English translation.

3. Shri Yashodhar N. Mehta
4. Shri K. Padmanabhan
5. Syed Nazir Ahmed Shah
6. Shri G. C. Sharma
7. Shri S. N. Agrawal, M.L.A.
8. Shri S. S. More, M.P.

Shri Bal Krishna—Member-Secretary.

(c) All the persons to be appointed to the Commission were selected but formal appointment in respect of four persons could not be made. One of the Members who was selected from U.P. for appointment as a full-time Member has, unfortunately, expired and the question of selecting another person is under consideration. A person who was selected from Madras for appointment as full-time Member had declined the offer. Another person who was selected for appointment could not be relieved by the Madras Government and the question of selecting another person from Madras is also under consideration.

Out of the two vacancies of part-time Members, an offer of appointment has already been made to a person from Orissa and his acceptance is awaited. An offer of appointment was also made to a person from Mysore, but he had declined the offer. The question of selecting another person from Mysore is receiving the attention of the Government. These appointments are expected to be made shortly.]

#### **राज भाषा (विधायी) आयोग के लिये आवश्यक स्टाफ**

**१४०. श्री नवाबसिंह चौहान :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज भाषा (विधायी) आयोग को जो कार्य सौंपा गया है, उसे पूरा करने

के लिये कितने स्टाफ की आवश्यकता है और अब तक कितना स्टाफ भर्ती कर लिया गया है; और

(ख) बाकी स्टाफ कब तक भर्ती कर लिया जायेगा और इस देरी का क्या कारण है ?

**STAFF REQUIRED FOR THE OFFICIAL LANGUAGE (LEGISLATIVE) COMMISSION**

340. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) the strength of the staff which is required to complete the work entrusted to the Official Language (Legislative) Commission and how much staff has been recruited so far; and

(b) by when the remaining staff will be recruited and what is the reason for the delay?]

**विधि मंत्रालय में उपमंत्रा (श्री बी० मिश्रा) :** (क) और (ख) वर्तमान स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि राजभाषा (विधायी) आयोग के काम को पूरा करने के लिए कुल कितने स्टाफ की आवश्यकता होगी। आयोग को तत्काल ही जितने प्राविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। आयोग के रोजमर्रा के कामों को चलाने के लिए प्रशासन सम्बन्धी कुछ पद मंजूर हो चुके हैं जिन्हें भर लिया गया है।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI B. MISHRA) : (a) and (b) It is not possible to indicate at this stage the exact staff that would be required to complete the work of the Official Language (Legislative) Commission. The question regarding the immediate requirements of the Commission in respect of the technical staff is under consideration of the Government. A few posts on the administration side have, however, been sanctioned and

filled in to carry on the day to day Work of the Commission.]

**वे देश जिनके विद्यार्थी पारस्परिक विनिमय के आधार पर भारत में शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं**

३४१. श्री राम सहाय : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यार्थियों के पारस्परिक विनिमय की योजना के अधीन किन किन देशों के विद्यार्थी भारत में शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) इसी योजना के अधीन किन-किन देशों में भारतीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वे किस किस विषय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

**COUNTRIES WHOSE SCHOLARS ARE RECEIVING EDUCATION AND TRAINING IN INDIA ON MUTUAL EXCHANGE BASIS**

341. SHRI RAM SAHAJ: Will the Minister of SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names of the countries whose scholars are receiving education and training in India under the scheme of mutual exchange of scholars; and

(t) the names of the countries in which Indian students are receiving education under the same scheme and the subjects in which they are receiving education?]

**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विवरणिका "स्कालरशिप्स फ़ार स्टडी एन्ड एण्ड एट होम" (तीसरा संस्करण, १९६१) की ओर दिलाया जाता है, जिसकी

[ ] English translation.